सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2020 / 00268 दर्ज तिथिः—26.10.2020

1. रामजी वल्द चिमना
   जाति रबारी निवासी मोटीढाणी तहसील गुड़ामालानी।

.....वादी

बनाम

1. दुर्गाराम वल्द चिमना
2. भीखाराम वल्द चिमना
3. केसाराम वल्द चिमना
4. जेठाराम वल्द चिमना
5. सुजोदेवी पत्नी चिमना जाति रबारी निवासी मोटीढाणी तहसील गुड़ामालानी।

.....असल प्रतिवादीगण

6. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 शाखा गुड़ामालानी
7. राजस्थार सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

.....तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादी संख्या 1ः—श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादी संख्या 2 ता 3, 5— श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 24.04.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेष हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 1055 / 1, 1058, 1091 / 1, 1502 / 1094, 1094 / 1, 1188 / 3, 1188 / 4, 1188 / 1 रकबा क्रमशः 19—18 बीघा, 17—15 बीघा, 0—11 बीघा, 05—10 बीघा, 03—07

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:13 IST
Reason: SelfAttested

बीघा, 06—00 बीघा, 08—05 बीघा, 13—02 बीघा मौजा मोटी ढाणी पटवारी हल्का गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है।

2. तत्पश्चात प्रकरण में दिनांक 17.06.2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/कोर्ट/2025/ 943 दिनांक 13.06.2025 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए नजरी नक्शे पेश किये गये। उक्त आपत्ति को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण में स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। पीठासीन अधिकारी के मौका निरीक्षण के दौरान सभी पक्षकारान उपस्थित रहे।

3. प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/कोर्ट/2025/943 दिनांक 13.06.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 28.04.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1320—1325 दिनांक 25.08.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 28.04.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1320—1325 दिनांक 25.08.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 28.04.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:13 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात उभय पक्षकारान को हाजिर न्यायालय रहने हेतु सूचित किया गया। तत्पश्चात उभय पक्षकारान के मध्य न्यायालय में विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करते हुए सहमति बनाने का प्रयास किया गया। परंतु उभय पक्षकारान के मध्य विभाजन के किसी भी विकल्प पर सहमति नहीं बनी। तत्पश्चात प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु पत्रावली पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

5. प्रकरण में वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073—2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट एवं संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा पर का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या संयुक्त आराजी खसरा संख्या संख्या 1055/1, 1058, 1091/1, 1502/1094, 1094/1, 1188/3, 1188/4, 1188/1 रकबा क्रमशः 19—18 बीघा, 17—15 बीघा, 0—11 बीघा, 05—10 बीघा, 03—07 बीघा, 06—00 बीघा, 08—05 बीघा, 13—02 बीघा मौजा मोटी ढाणी पटवारी हल्का गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट व नजरी नक्शा पर पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) व नजरी नक्शा पर मय नक्शा—ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

6. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:13 IST
Reason: SelfAttested

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;
(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.
(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

7. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

8. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक—पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:13 IST
Reason: SelfAttested

व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

9. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या संयुक्त आराजी खसरा संख्या संख्या 1055/1, 1058, 1091/1, 1502/1094, 1094/1, 1188/3, 1188/4, 1188/1 रकबा क्रमशः 19—18 बीघा, 17—15 बीघा, 0—11 बीघा, 05—10 बीघा, 03—07 बीघा, 06—00 बीघा, 08—05 बीघा, 13—02 बीघा मौजा मोटी ढाणी पटवारी हल्का गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्ताव व नजरी नक्शा मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
रामजीराम पुत्र चिमनाराम जाति रबारी सा0 देह खातेदार रहन SBI शाखा गुड़ामालानी	पूर्ण	मोटी ढाणी	1055 / 1	0.6040	बा0दो0
			1058	0.5387	
			1091 / 1	0.0167	
			1094 / 1	0.1016	
			1188 / 1	0.3855	
			1188 / 3	0.1821	
			1188 / 4	0.2504	
			1502 / 1094	0.1670	
कुल किता 08 रकबा 2.2460 है0					
	पूर्ण		1188 / 1	0.3975	बा0दो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:13 IST
Reason: SelfAttested

दुर्गाराम पुत्र चिमनाराम जाति रबारी सा0 देह खातेदार रहन SBI शाखा गुड़ामालानी		मोटी ढाणी	1188 / 3	0.4925	
			1055 / 1	1.4160	
कुल किता 03 रकबा 2.2460 है0					
राजस्थान सरकार	पूर्ण	मोटी ढाणी	1058	0.0647	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.0647 है0					
केसाराम पुत्र चिमनाराम जेठाराम पुत्र चिमनाराम भीखाराम पुत्र चिमनाराम झमूदेवी पुत्री चिमनाराम मालूदेवी पुत्री चिमनाराम हीरादेवी पुत्री चिमनाराम जाति रबारी सा0 देह खातेदार रहन—केसाराम, भीखाराम, जेठाराम का हि0 SBI शाखा गुड़ामालानी	22460 / 74867 22461 / 74867 22461 / 74867 2494 / 74867 2494 / 74867 2494 / 74867	मोटी ढाणी	1055 / 1	1.2013	
			1058	2.2699	
			1091 / 1	0.0723	
			1094 / 1	0.4407	
			1188 / 1	1.3375	
			1188 / 3	0.3566	
			1188 / 4	1.1851	
			1502 / 1094	0.7233	
कुल किता 08 रकबा 7.4867 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात व नजरी नक्शा पर निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2020 / 00268 दर्ज तिथिः—26.10.2020

1. रामजी वल्द चिमना
   जाति रबारी निवासी मोटीढाणी तहसील गुड़ामालानी।

.....वादी

बनाम

1. दुर्गाराम वल्द चिमना
2. भीखाराम वल्द चिमना
3. केसाराम वल्द चिमना
4. जेठाराम वल्द चिमना
5. सुजोदेवी पत्नी चिमना जाति रबारी निवासी मोटीढाणी तहसील गुड़ामालानी।

.....असल प्रतिवादीगण

6. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 शाखा गुड़ामालानी
7. राजस्थार सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

.....तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादी संख्या 1ः—श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादी संख्या 2 ता 3, 5— श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—ःपर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या संयुक्त आराजी खसरा संख्या संख्या 1055/1, 1058, 1091/1, 1502/1094, 1094/1, 1188/3, 1188/4, 1188/1 रकबा क्रमशः 19—18 बीघा, 17—15

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:13 IST
Reason: SelfAttested

बीघा, 0—11 बीघा, 05—10 बीघा, 03—07 बीघा, 06—00 बीघा, 08—05 बीघा, 13—02 बीघा मौजा मोटी ढाणी पटवारी हल्का गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट व नजरी नक्शा मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
रामजीराम पुत्र चिमनाराम जाति रबारी सा0 देह खातेदार रहन SBI शाखा गुड़ामालानी	पूर्ण	मोटी ढाणी	1055/1	0.6040	बा0दो0
			1058	0.5387	
			1091/1	0.0167	
			1094/1	0.1016	
			1188/1	0.3855	
			1188/3	0.1821	
			1188/4	0.2504	
			1502/1094	0.1670	
कुल किता 08 रकबा 2.2460 है0					
दुर्गाराम पुत्र चिमनाराम जाति रबारी सा0 देह खातेदार रहन SBI शाखा गुड़ामालानी	पूर्ण	मोटी ढाणी	1188/1	0.3975	बा0दो0
			1188/3	0.4925	
			1055/1	1.4160	
कुल किता 03 रकबा 2.2460 है0					
राजस्थान सरकार	पूर्ण	मोटी ढाणी	1058	0.0647	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.0647 है0					
केसाराम पुत्र चिमनाराम जेठाराम पुत्र चिमनाराम भीखाराम पुत्र चिमनाराम झमूदेवी पुत्री चिमनाराम मालूदेवी पुत्री चिमनाराम हीरादेवी पुत्री चिमनाराम जाति रबारी सा0 देह खातेदार रहन—केसाराम, भीखाराम, जेठाराम का हि0 SBI शाखा गुड़ामालानी	22460/74867 22461/74867 22461/74867 2494/74867 2494/74867 2494/74867	मोटी ढाणी	1055/1	1.2013	
			1058	2.2699	
			1091/1	0.0723	
			1094/1	0.4407	
			1188/1	1.3375	
			1188/3	0.3566	
			1188/4	1.1851	
			1502/1094	0.7233	
कुल किता 08 रकबा 7.4867 है0					

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:13 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात एवं नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी गुढ़ामालानी
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:13 IST
Reason: SelfAttested